

न्यायालय सहायक क्लर्क दौसा

कमला देवी vs नाथू सिंह वर्मा

तारीख
हुक्म

दावा नं 70/21

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/3
2022

वकील वादी उपरी वकील प्रतिवादी मूला
उपरी कोर्ट पर कमला देवी उपस्थित।
वकील वादी द्वारा वाद को आगे नहीं
चलाकर मोटोरस में वाद स्वारिज
करने हेतु निवेदन किया गया।
अतः वकील वादी द्वारा वाद को आगे
नहीं चलाकर वाद मोटोरस करने के
लिए कमला देवी के कारण वादी का वाद मोटोरस
में स्वारिज किया जाता है। फर्माव है
कैसल शुमार होकर नम्बर से काम
होकर दस्ता खारिज हो। (6)

Note Press
14/3/22

कि कमला देवी
गुल
दावा नं
14/3/22

सहायक क्लर्क
दौसा, जिला दौरा

